# समाहरणालय, मधेपुरा

## (जिला गोपनीय शाखा)

दिनांक 20-10-2014 को श्री गोपाल मीणा, भा0प्र0से0, जिलाधिकारी, मधेपुरा एवं पुलिस अधीक्षक, मधेपुरा द्वारा छठ त्योहार, 2014 के अवसर पर विभिन्न छठ घाटों एवं अन्य स्थलों का स्थलीय निरीक्षण से संबंधित निरीक्षण टिप्पणी

दिनांक 20-10-2014 को श्री गोपाल मीणा, भा0प्र0से0, जिलाधिकारी, मधेपुरा एवं पुलिस अधीक्षक, मधेपुरा द्वारा मधेपुरा अनुमण्डल के मुरलीगंज एवं कुमारखंड प्रखंड का भ्रमण किया गया एवं विभिन्न छठ घाट एवं अन्य स्थलीय निरीक्षण किया गया।

(2) मुरलीगंज प्रखंड :-

मुरलीगंज प्रखंड के बलुआ पुल का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के समय प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं थाना प्रभारी उपस्थित थे। बताया गया कि पुल के दक्षिण दोनों किनारे काफी संख्या में छठ व्रती छठ का पूजा अर्चना करते हैं, काफी भीड़ लगती है।

इसके अतिरिक्त बेंगा धार, प्रखंड परिसर स्थित पोखर, गोशाला के पोखर एवं जयराम पोखर पर छठ का आयोजन किया जाता है। प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं थानाध्यक्ष द्वारा बताया गया कि आयोजकों के साथ बैठक कर ली गयी है एवं छठ घाटों पर पर्याप्त रौशनी, प्रवेश एवं निकास द्वार तथा पंडाल बनाये जाने हेतु निदेशित किया गया है। प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं अंचल अधिकारी, मुरलीगंज को छठ पूजा के अवसर पर निम्नलिखित निदेश दिये गये :-

❖ मुख्य मार्ग से छठ घाट तक पहुँचने का रास्ता :- मुरलीगंज प्रखंड के सभी घाटों पर सुई निकास एवं प्रवेश दोनों के लिए पर्याप्त रास्ता बनाया जाए। प्रखंड विकास पदाधिकारी तथा थानाध्यक्ष को निदेशित किया गया कि आयोजकों से मिलकर साफ-सुथरा एवं चौड़ा रास्ता बनाना सुनिश्चित करें, ताकि छठ पूजा के अवसर पर आवागमन सुविधापूर्वक हो सके।

❖ नदी घाट में बैरेकेटिंग की व्यवस्था :- स्थलीय जाँच के क्रम में प्रखंड विकास पदाधिकारी को निदेशित किया गया कि आयोजनकर्त्ता से छठ घाट पर नदी के दोनों तरफ जल का आकलन कर लिया जाय एवं अधिकतम दो से अढ़ाई फीट जल संग्रहण वाले स्थान से सटे बैरेकेटिंग कराया जाय जहाँ लाल झंडा पर "आगे खतरा है" लिखकर टांग दिया जाय ताकि छठ के अवसर पर किसी प्रकार की अनहोनी घटना से बचा जा सके।

❖ नाव-नाविक और गोताखोर की व्यवस्था :- स्थलीय जाँच के दौरान प्रखंड विकास पदाधिकारी, मुरलीगंज को निदेशित किया गया कि घाटों एवं पोखर पर कम-से-कम एक नाव-नाविक, पाँच प्रशिक्षित स्वयं सेवकों /दो गोताखोर लाईफ जैकेट के साथ परिचालन की अवस्था में भ्रमणशील रहें, ताकि उसका प्रयोग विकट स्थिति में किया जा सके।

❖ वाहन पार्किंग :- छठ पूजा के अवसर पर लोग छोटी वाहन एवं दो पहिये वाहन का काफी संख्या में प्रयोग करते हैं, जिससे छठ घाट पर काफी भीड़ हो जाती है एवं आवागमन बाधित हो जाता है। निदेशित किया गया कि वाहन पार्किंग हेतु उपर्युक्त स्थल का चयन कर

वहाँ पर आयोजनकर्त्ता से बैरकेटिंग सहित वाहन पार्किंग यथा **चार पहिया वाहन का पार्किंग स्थल, दो पहिया वाहन का पार्किंग स्थल एवं साईकिल का पार्किंग स्थल, का बोर्ड लगावें,** ताकि मोटरबुल छठ घाट होने के कारण वाहनों का जमाव सड़क पर नहीं हो। इस निमित्त आयोजनकर्त्ताओं से स्वयंसेवकों की प्रतिनियुक्ति करायी जाय, जो यातायात नियंत्रण में प्रशासन को सहयोग करेंगे।

❖ **छठ घाट पर पर्याप्त रोशनी की व्यवस्था** :- प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं थानाध्यक्ष को यह भी निदेशित किया गया कि आयोजनकर्त्ता से छठ घाट एवं मुख्य सड़क पर पर्याप्त रोशनी की व्यवस्था आयोजनकर्त्ता /नगर पंचायत, मुरलीगंज द्वारा कराया जाय। इस निमित्त आयोजनकर्त्ता को प्रेरित किया जाय कि वे कार्यपालक अभियंता, विद्युत आपूर्ति, मधेपुरा से अस्थायी कनेक्शन प्राप्त कर लें, ताकि छठ घाट पर रोशनी की पर्याप्त व्यवस्था रहे। यदि आयोजनकर्त्ता जनरेटर के माध्यम से रोशनी की व्यवस्था सुनिश्चित करना चाहते हैं तो वे सहायक अभियंता, विद्युत आपूर्ति /कनीय अभियंता, विद्युत से किये गये वायरिंग का उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त कर लें, ताकि शॉर्ट सर्किट से किसी प्रकार की दुर्घटना न हो।

❖ **छठ घाट पर आतिशबाजी /धुम्रपान प्रतिबंधित** :- स्थलीय निरीक्षण के समय जिलाधिकारी द्वारा निदेशित किया गया कि छठ घाट पर आतिशबाजी यथा पटाखे छोड़ना एवं उसका क्रय विक्रय करना प्रतिबंधित रहेगा। साथ ही धुम्रपान निषेध रहेगा। कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, मुरलीगंज /प्रखंड विकास पदाधिकारी /थानाध्यक्ष, मुरलीगंज उक्त आशय का साईनबोर्ड उपर्युक्त स्थल पर लगाना सुनिश्चित करेंगे।

❖ **भ्रामक अफवाह फैलाने वाले असमाजिक तत्वों पर पैनी निगाह** :- जिलाधिकारी द्वारा प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं थानाध्यक्ष, मुरलीगंज को निदेशित किया गया कि छठ के अवसर पर स्थिति की कड़ी निगरानी रखी जाय ताकि कोई भ्रामक अफवाह नहीं फैलाया जा सके। उल्लेखनीय है कि पटना के गाँधी मैदान में रावण दहन के अवसर पर अफवाह फैलाने के अवसर पर भगदड़ के कारण भयंकर घटना घटी, फलस्वरूप समुह शाखा के पदाधिकारी सादे लिबास में छठ घाटों पर भ्रमणशील रहते हुए स्थिति पर कड़ी निगरानी रखेंगे तथा यदि किसी असमाजिक तत्व द्वारा ऐसा प्रयास किया जाता है तो तत्क्षण कार्रवाई करेंगे।

❖ **नियंत्रण कक्ष** :- निदेशित किया गया कि आयोजनकर्त्ता मेला परिसर में उपर्युक्त स्थल पर एक नियंत्रण कक्ष स्थापित करेंगे, जिसमें **एक ध्वनि विस्तारक यंत्र** लगा रहेगा जो छठ के अवसर पर भूले-भटके बच्चों का प्रचार कर उनके अभिभावक को उचित पहचान पत्र देगा। साथ ही भीड़ को नियंत्रित करने हेतु समय-समय पर आवश्यक सूचना /निदेश संसूचित करते रहेंगे।

❖ **चिकित्सीय व्यवस्था** :- छठ त्योहार के अवसर पर चिकित्सीय व्यवस्था को बेहतर बनाया जाय, ताकि किसी भी आपात् स्थिति से तत्क्षण निपटा जा सके। इस क्रम में प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, मुरलीगंज को निदेशित किया जाता है कि आकस्मिक स्थिति से निपटने के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, मुरलीगंज में आवश्यक दवाईयाँ /चिकित्सक /नर्स /पारा मेडिकल स्टाफ /ए0एन0एम0 /चालक सहित एम्बुलेंस वाहन आदि की व्यवस्था करेंगे।

(3) कुमारखंड प्रखंड :-

प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं थानाध्यक्ष, कुमारखंड को निदेशित किया गया कि कुमारखंड प्रखंड में जहां पर मुख्य रूप से छठ पूजा का आयोजन होता है, वहां पर पर्याप्त रौशनी, आवागमन की सुविधा, नाव-नाविकों की व्यवस्था, चिकित्सा की व्यवस्था, वाहन पार्किंग, बैरिकेटिंग, नियंत्रण कक्ष आदि सुनिश्चित करेंगे एवं स्वयं भ्रमणशील रहकर विधि-व्यवस्था बनाये रखना सुनिश्चित करेंगे।

(4) प्रथम वर्गीय पशु चिकित्सालय, श्रीनगर :-

इसका निरीक्षण पुलिस अधीक्षक एवं जिला पशुपालन पदाधिकारी के साथ किया गया। बताया गया कि यह पशु चिकित्सा केन्द्र लगभग दो-ढ़ाई साल से बनकर तैयार है, अभी तक इसका स्थानांतरण पशु चिकित्सा विभाग को नहीं किया गया है। इस पशु चिकित्सा के संवेदक श्री मंटू यादव ने बताया कि दो-ढ़ाई साल पहले बनाया गया था, लेकिन अभी तक प्रभार नहीं हुआ है, जिससे उनका दायित्व एवं लेबलिटी पड़ा हुआ है। उन्होंने अनुरोध किया कि शीघ्रातिशीघ्र हस्तानांतरण कराने का आदेश दिया जाए।

निरीक्षण के क्रम में पाया गया कि उक्त पशु केन्द्र में श्रीनगर थाना का नीचले तल पर वायरलेस केन्द्र बनाया गया है तथा उपरी तल के दो कमरे में पुलिस कर्मी रहते हैं। निर्णय लिया गया कि इस भवन के नीचले तल के बड़े हॉल में तत्काल वायरलेस केन्द्र रहेगा, परन्तु शेष कमरा अविलम्ब खाली कर पशु चिकित्सालय कार्यालय अधिष्ठापित किया जायेगा। जिला पशुपालन पदाधिकारी को निदेशित किया गया कि पशु चिकित्सक एवं अन्य कर्मियों की प्रतिनियुक्ति कर केन्द्र को संचालित कराना सुनिश्चित करेंगे। संवेदक को निदेशित किया गया कि वे दस दिनों के अन्दर इस पशु केन्द्र का रंग-रोगन एवं टूटे-फुटे जगहों को ठीक कराकर हस्तानांतरण कराना सुनिश्चित करेंगे।

21/10/14

जिलाधिकारी
मधेपुरा।

21/10/14

ज्ञापांक..2816...../गो0, मधेपुरा, दिनांक- ..21.10.2014.....

प्रतिलिपि : पुलिस अधीक्षक, मधेपुरा /जिला पशुपालन पदाधिकारी, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, मुरलीगंज /कार्यपालक अभियंता, विद्युत /सहायक अभियंता, विद्युत, मधेपुरा /कनीय अभियंता, विद्युत, मुरलीगंज /कुमारखंड /प्रखंड विकास पदाधिकारी /अंचल अधिकारी /थानाध्यक्ष, मुरलीगंज /कुमारखंड /श्रीनगर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं ई-मेल से भेजते हुए जिले के वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

21/10/14

जिलाधिकारी
मधेपुरा।

21/10/14

42